

2018/00041

11/2/18

ज्यायालय नरसिंहनगर (खण्ड) लुकरनगर, जिला बीकानेर

सरकार के लिये 500 रुपये का (माल) जारी

दिये हुए - 32/18

रु. 500 का जारी है

मुद्रा सं. 32/18

आदेश दिनांक कार्यवाही दिनांक आदेश की प्रतिलिपि

22/1/18

परवारी हस्ताक्षर
की रिपोर्ट पर परवारी मुरतीब की गई। मुद्रांक नोट जारी की
प्रति/प्रति 200000 रु
उत्पन्न नं./मुद्रांक 168

तारीख 2-0
राजकीय भूमि पर उत्पन्न 200000 रु
नागरिक कल्याण का उत्पन्न का ली। उत्पन्न की प्रतिलिपि को उत्पन्न नोटिस
जारी किया जावे। अधिकारी के अधिकार के अंतर्गत रु. 500 का मुद्रांक
जारी। परवारी आदेश दिनांक 8/2/18 जारी है

200000

25
22/1/18

8/2/18

बसावली के रु. 500 का मुद्रांक जारी है।
अधिकारी के अधिकार के अंतर्गत रु. 500 का मुद्रांक जारी है।
उत्पन्न नं. 32/18 जारी है।
दिनांक 8/2/18

यह शीट के पत्र
110 के अंक 33 पर
मोगा वापस की
गयी
TAN
12/1/18

71210
न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 35/2018

दिनांक 8/2/18

निर्णय

प्रकरण संख्या 35/2018 के अंतर्गत प्रकरण में दिनांक 01-12-2017 को निर्णय किया है कि सम्मत 2074 में नगर
 लूनकरनसर के अंतर्गत स्थित खेत नं. 168 जाति खेत
 सातबल 2.0 हेक्टर में ग्राम खेत नं. 168 के अंतर्गत नं. 168
 प्रकरण में खेत नं. 168 के अंतर्गत खेत नं. 168 का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण
 किया है।

सम्मत 2074 में खेत नं. 168 की धारा 91 के तहत प्रकरण
 दायर कर माहौल लगे किया गया जो बाद तामिल शामिल किया गया।
 सम्मत 2074 में खेत नं. 168 के अंतर्गत खेत नं. 168 के अतिक्रमण कार्यवाही
 करते हुए सम्मत 2074 में खेत नं. 168 की धारा 91 के तहत प्रकरण

सम्मत नं. 168 प्रकरण 2.0 हेक्टर के अतिक्रमण करने पर राज.
 नगरपालिका अधिनियम 1958 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित
 किया जाता है तथा नगरपालिका 1.25 लाख का 50 गुणा रूपये 51/-
 धारा 91 के अंतर्गत किया जाता है। तथा भूके से हटाया करने के आदेश दिये जाते
 हैं। हटाया करने के लिए नगरपालिका को लिखा जावे तथा सुनिश्चित करनी
 बकाया कर को जमा कर ले आर. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 8/2/2018 को सुनौ अदालत में लिखाया
 जाकर सुनाया गया।

[Signature]
 तहसीलदार

लूनकरनसर

